

प्रशासनिक सुधार विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
7वाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-10002

तारांकित प्रश्न संख्या:-

03

दिनांक:-


19.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम:-

श्री राजू धिंगान

क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या 'मुख्यमंत्री की अरबन लीडर फैलोशिप' हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में फंड आबंटित किया गया था;	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 535.00 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया जिसे संशोधित बजट (RE) 2017-18 में एक लाख रुपये कर दिया गया।
ख.	यदि हाँ, तो उसकी राशि तथा वह फण्ड किस तारीख को जारी किये गये थे;	
ग.	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हुए व्यक्तियों का विवरण क्या है;	शून्य
घ.	क्या इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किये गये थे;	वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया।
ङ	यदि हाँ, तो इन विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि, जिस दर पर ये विज्ञापन जारी किये गये थे जिन समाचार पत्रों में ये विज्ञापन छापे गए थे तथा इन विज्ञापनों के लिए राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के नाम सहित इसका पूर्ण विवरण क्या है;	उपरोक्त 'घ' के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।
च	यदि नहीं तो इन विज्ञापनों को न छापे जाने का क्या कारण है;	दिल्ली सरकार मंत्रिमंडल ने पुनः विचार करते हुए दिनांक 20.02.2018 की कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री अरबन लीडर फैलोशिप' योजना को अनुमोदित कर दिया है। एवं वर्तमान में इसे लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
छ	उन अधिकारियों के नाम व पदनाम जिनके स्तर पर उक्त फाइलें लंबित पड़ी हैं; और	
ज	इस संबंध में किए गए पत्राचार और नोटिंग्स की प्रतियों सहित फाइल मूवमेंट का पूर्ण विवरण क्या है;	


लक्ष्मी राज सिंह
उप निदेशक(प्र.सु.वि.)
दुरभाष: 011-23392726